



डॉ० शैलेश मिश्र

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता और चुनौतियाँ

असिस्टेंट प्रोफेसर- पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नरगाकोठी, चम्पानगर, भागलपुर (बिहार) भारत

Received-20.11.2022, Revised-26.11.2022, Accepted-30.11.2022 E-mail: mishrashailash1982@gmail.com

सारांश: शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संस्कृत के शिक्षा धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना है। शिक्षा ग्रहण करने के कई माध्यम हैं। शिक्षा मनुष्य को बौद्धिक रूप से जहाँ तैयार करती है, वहीं आज के दौर में शिक्षा प्राप्त करने का एक सरल तरीका है ऑनलाइन शिक्षा। पारम्परिक रूप से हम गुरुकुल या कक्षा में शिक्षक के समीप बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में इसे शिक्षा का नवीन रूप माना जाता है, हम अपने शिक्षक से इंटरनेट से मिलते हैं और लैपटॉप या सेलफोन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वर्तमान दौर में ऑनलाइन शिक्षा एक वरदान की तरह है। यदि कोई किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जाता है तो वह ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से नए तरीके से शिक्षा हासिल कर सकता है। सामयिक परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चों को अब उतना समय पढ़ाई में नहीं लगाना पड़ता, जितना स्कूल में व्यय करना होता है। उनके समय की बचत होने के साथ ही बच्चे अब स्कूल जाने से ऊब नहीं रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा से स्कूली बच्चों का समय जहाँ बचता है, वहीं उन्हें अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका भी मिल जाता है। आज के दौर में एक भी बच्चे का ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहना, शिक्षण का उपेक्षित माध्यम माना जाएगा। हमारी सरकारों को ये प्रतिबद्धता स्पष्ट करनी चाहिए कि वो आगे भी शिक्षण संस्थानों को ब्रॉडबैंड सेवा और ऑनलाइन शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराएं।

कुंजीशब्द- ऑनलाइन शिक्षा, पारम्परिक रूप, गुरुकुल, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, नवीन रूप, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड।

उच्च शिक्षा संस्थान (कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में) ऑनलाइन शिक्षा- देश में 24 मार्च, 2020 को कोविड-19 रोकथाम के लिए लॉकडाउन लागू किया गया। तदुपरान्त राज्यों की सरकारों ने विद्यालयी शिक्षा को ऑनलाइन करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इसमें स्वयं सेवी संगठनों से लेकर, फाउंडेशन और प्राइवेट तकनीकी शिक्षा कंपनियों को भी सहभागी बनाया गया, जिन्होंने शिक्षा प्रदान करने के लिए संवाद के उपलब्ध माध्यमों को प्रयोग करना शुरू किया। टेलीविजन, डाइरेक्ट टू होम चैनल्स, रेडियो प्रसारण, व्हाट्सएप और एसएमएस समूह तथा प्रिंट मीडिया को भी सम्मिलित किया गया। अनेक संगठनों ने नूतन अकादमिक वर्ष के निमित्त किताबें भी वितरित कर दीं। विद्यालयी शिक्षा के सापेक्ष उच्च शिक्षा का क्षेत्र नवीन चुनौती का सामना करने के लिए सजग नहीं था। शिक्षा एवं आकस्मिक ऑनलाइन सुदूर शिक्षा में काफी अन्तर है। ऑनलाइन एजुकेशन भली प्रकार से शोधोपरान्त प्रयोग में लायी जा रही है। बहुत से देशों में शिक्षा का ये जरिया दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस सन्दर्भ में कई विशेषज्ञों का मानना है कि आमने-सामने की पढ़ाई को अचानक ऑनलाइन माध्यम में परिवर्तित होने से शिक्षा प्रदान करने का तरीका बदल गया है। ऑनलाइन टीचिंग को आपातकालीन रिमोट शिक्षण की संज्ञा दी जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा और आकस्मिक ऑनलाइन सुदूर शिक्षा में काफी अन्तर है। ऑनलाइन शिक्षा भली प्रकार से अनुसंधान के बाद प्रयोग में लाई जा रही है। अधिकांश देशों में शिक्षा प्रदान करने का यह जरिया प्रयोग में लाया जा रहा है, ताकि पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके। सापेक्षतया देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता नाकाफी है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय आने वाले सेमेस्टर से ऑनलाइन कक्षा प्रारम्भ करते हैं, तो उन्हें इस सुदूर ऑनलाइन शिक्षा और रेगुलर ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर को संज्ञान में लेते हुए अपनी योजनाएं बनानी होंगी। यद्यपि देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तथापि उच्च शिक्षण संस्थानों को भी विद्यालयों की भांति ही रेगुलर ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करना होगा।

भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) की ऑनलाइन शिक्षा अपनाने की प्रवृत्ति- भारत का उच्च शिक्षा का क्षेत्र, ऑनलाइन एजुकेशन के पाठ्यक्रम को अपनाने में काफी शिथिल रहा है। अकस्मात् ऑनलाइन पढ़ाई की आवश्यकता सामने प्रकट हुई, तो यह क्षेत्र पूरी तरह से इस निमित्त तैयार नहीं दिखा। 30 जनवरी 2020 तक देश के केवल सात उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे थे जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की 2018 गाइडलाइन्स के अनुसार ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने की अनुमति ली थी। कोविड-19 की विभीषिका से देश के लगभग 40 हजार उच्च शिक्षा संस्थानों में से अधिकतर के पास ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं थी। जब सरकारों ने इन संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने छात्रों को पढ़ाई कराने का निर्देश दिया, तो संस्थान इस निमित्त तैयार नहीं थे। मध्य मई में माननीय वित्त मंत्री जी



की घोषणा कि देश की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत शीर्ष के प्रमुख 100 शिक्षण संस्थानों को स्वतः ही ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम करने की इजाजत मिल जाएगी। जिसका लाभ छात्रों के एक छोटे से वर्ग को मिला।

भारत के लगभग 40 हजार उच्च शिक्षण की संस्थाओं के पास कोविड-19 की महामारी के दरम्यान ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं थी। अतएव केंद्र और राज्य सरकारों ने जब इन संस्थानों को ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं के संचालन का निर्देश प्रदान किया तो ये अपने छात्रों के शिक्षण के निमित्त तैयार नहीं थे। लॉकडाउन उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तकनीक (ICT) पर आधारित संसाधनों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पहल की एक सूची जारी की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कथन था कि इसके जरिए छात्र, लॉकडाउन के दरम्यान निःशुल्क शिक्षा जारी रख सकते हैं। इसमें स्वयं (SWAYAM) और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे विकल्पों का प्रावधान किया गया था। सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि छात्र एक साथ ड्यूल् डिग्री भी ले सकते हैं, जिसे वो अपने नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ ऑनलाइन, प्राइवेट और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जिससे छात्रों को कोविड-19 की महामारी के उपरान्त काफी लाभ होगा, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी विलम्ब से ही सही तथा कुछ ही छात्रों के लाभ के लिए उठाए गए कदम हैं।

ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ने की अल्प तैयारी- ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने की दिशा में फेकेल्टी के सदस्यों का पूर्व प्रशिक्षण न प्रदान करना एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आया है। इसी निमित्त वे ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के लिए दक्ष नहीं हैं। ऑन लाइन कक्षाओं के संचालन में समुचित प्रकार दक्षता के लिए छह से नौ महीने लग सकते हैं। स्पष्ट है कि कोविड महामारी को देखते हुए शिक्षकों को महज कुछ ही हतों ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण के लिए दक्षता प्रदान करना आसान कार्य नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने की पहल करने वाले संस्थानों तथा विभाग के सदस्यों और उनके सहकर्मियों को इसे अपनाने में काफी मदद करने की ज़रूरत होगी। आमतौर पर विभाग एवं संकाय के सदस्य, अपने पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने को लेकर समर्थ हो पाते हैं। ऐसे में उन्हें इस निमित्त प्रोत्साहित करने की महती आवश्यकता है।

शिक्षकों को तकनीकी दक्षता प्राप्त विशेषज्ञों की सहायता से प्रशिक्षित किये जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। देश ही नहीं वरन विदेशों के विश्वविद्यालयों में टीचिंग असिस्टेंट (TAs) का उपयोग बृहद स्तर पर हो रहा है। स्पष्ट है कि छात्रों को चैटरूम और सहयोगियों के माध्यम से सीखने के सत्र भी आयोजित करते हैं जो शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भी काफी विशेषज्ञ ऑनलाइन शिक्षा को आमने-सामने की शिक्षा के सापेक्ष कम प्रभावी मानते हैं।

निर्विवाद रूप से सत्य ही है कि विद्यालय परिसर में की जाने वाली पढ़ाई को ऑनलाइन शिक्षा में स्थानान्तरित कर पाना आसान नहीं है। फिर भी दोनों में से एक को चुनने का विकल्प दिया जाए तो ऑनलाइन कोर्स को निर्देश के उच्च माध्यमों, पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन, ऑडियो-वीडियो क्लिप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बहुत उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे नियमित यूनिवर्सिटी शिक्षा को काफी मदद मिलेगी। कोर्सेस, एडेक्स और अन्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से यह बात अधिक स्पष्ट हो गई है। सत्र के प्रारम्भ में विलम्ब से उच्च शिक्षण संस्थानों और विशय विशेषज्ञों को ये अवसर मिला है कि वो उच्च गुणवत्ता के ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार कर लें।

वर्तमान में देश के उच्च संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कोर्स लॉन्च किए हैं, जिनसे महाविद्यालय के शिक्षक लाभ उठा सकते हैं। ऐसे और अधिक संसाधन तैयार करने आवश्यक हैं। साथ ही इन्हें ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार के लिए अधिक से अधिक प्रयोग में लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

विशेषज्ञों का ऑनलाइन कोर्स के विस्तार के पीछे एक आर्थिक तर्क भी है। ऑनलाइन शिक्षा के तमाम संसाधन इसकी सफलता का उदाहरण हैं। तुलनात्मक रूप से ऑनलाइन कोर्स बहुत कम खर्चीले होते हैं और इन माध्यमों पर बहुत से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों से अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं। देश के लिए यह उत्तम होगा कि वह कोविड-19 की महामारी से मिले अवसर से लाभान्वित होकर ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूकता प्रसारित करे, तोंकि देश के शिक्षण संस्थान इस आपदा द्वारा अर्जित दीर्घावधिक अवसर को पहचान कर उससे लाभान्वित हो सके। उच्च शिक्षण संस्थाओं ने ऑनलाइन शिक्षा के स्वतः इजाफा देने वाले पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए हैं। इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कार्य कर रहे विशेषज्ञ लाभान्वित होंगे। ऐसी स्थिति में उच्च संसाधन उपलब्ध कराने की महती आवश्यकता है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार के लिए भारतीय भाशाओं में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

समस्याएं एवं सम्भावनाएं- कोविड-19 महामारी के दौरान दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा को लेकर सारी परिचर्चाएं इस तथ्य पर आधारित हैं कि सभी छात्रों के पास इंटरनेट सेवा है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सभी के पास अपेक्षित उपकरण यॉनि



लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद हैं, जो ऑन लाइन शिक्षण में मददगार साबित हो सकते हैं। खेद का विषय है कि ये तथ्य विद्यालय स्तर पर भी अनुचित है। साथ ही उच्च शिक्षा के स्तर पर भी विद्यालयों में जहां स्थानीय समुदायों के ही छात्र आमतौर पर पढ़ाई करते हैं, वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले दूर-दराज के छात्र भी होते हैं। देश के अलग-अलग राज्यों के छात्र भी इनमें हो सकते हैं। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर अगर इसी आकलन पर कि सभी छात्रों के पास इसके संसाधन होंगे, इसका दुष्प्रभाव भी सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थानों पर पड़ेगा। कारण अधिकतर छात्र, जो लॉकडाउन के बाद अपने घर लौट गए, उनके पास इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। भारत के उच्च तकनीकी संस्थानों के दस प्रतिशत या इससे भी अधिक छात्रों ने माना कि वो पाठ्यक्रम को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, साथ ही वे ऑनलाइन कक्षाओं में निर्बाध रूप या प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं जिसका कारण कभी-कभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी एवं डेटा प्लान की उपलब्धता भी बतायी जा रही है।

देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 2011 भारत नेट के नाम से योजना चलायी जा रही है। समाज के अन्तिम व्यक्ति तक इंटरनेट की सेवा न पहुंच पाने से ये योजना भी अपनी सार्थकता को नहीं प्राप्त कर सकी है। इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू कराने की जरूरत है। साथ ही ग्रामीण समुदायों और विद्यार्थियों को अच्छी इंटरनेट सेवा से जोड़ें जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष- संकट की इस घड़ी में ऑनलाइन शिक्षा को एक अवसर के रूप में सही स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु इसे नियमित कक्षाओं के विकल्प के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है। शिक्षा में निजीकरण की प्रक्रिया तो पूर्व से ही चली आ रही है। शिक्षा को विश्व व्यापार संगठन के शुल्क एवं व्यापार के सामान्य समझौता (गैट) के माध्यम से व्यावसायिक क्षेत्र में शामिल किये जाने से लगातार वैश्विक दबाव डाला जाने लगा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ ही देश भर की उच्च शिक्षा के रेग्युलेशन का काम भी करता है। वह उच्च शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों, शोधार्थियों और शिक्षकों की सेवा-शर्तों को भी निर्धारित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक और छात्र की परिभाषा ही बदल गई है। आधुनिक भारत की शिक्षा नीति में मध्यकालीन गुरु-शिष्य की परम्परा को खत्म कर शिक्षक और विद्यार्थी की परिभाषा बनायी गयी है। कोरोना के चलते वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षा एक जरूरत है, लेकिन उपयोगी कक्षीय शिक्षा ही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अमर उजाला, मेरठ, संस्करण 25 मार्च, 2021.
2. द वायर : राजीव कुमार कुंवर (दिल्ली विश्वविद्यालय), 17 मई, 2020.
3. कोरोना के चलते वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षा एक जरूरत है, लेकिन उपयोगी कक्षीय शिक्षा ही है : निरंजन कुमार, सम्पादकीय, दैनिक जागरण, 02 नवम्बर, 2020.
4. orfline.org, 13 जुलाई, 2020.
